उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-216 /2020/2694/41-2020-123(बजट)/2019टी0सी0

लखनऊ दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

संख्या-210/2020/1605/41-2020-123(बजट)/2019 टी0सी0 दिनांक 18 सितम्बर, 2020

का शुद्धि पत्र

जनपद गोरखपुर में श्री विश्वकर्मा मंदिर मार्ग जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु अवशेष स्वीकृति विषयक निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-210/2020/1605/41-2020-123(बजट)/2019 टी0सी0 दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में महानिदेशक, पर्यटन के पत्रांक- 2781/6-1-1 (1095)/2019 दिनांक 30-9-2020 द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उक्त शासनादेश में प्रस्तर-3 पर त्रुटिवश प्रशासकीय स्वीकृति रू0-118.**17** लाख को शब्दों में रू0 एक करोड अठ्ठारह लाख इकहत्तर हजार मात्र अंकित कर दिया गया है, जिसे संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

2. अतः उक्त शासनादेश संख्या-210/2020/1605/41-2020-123(बजट)/2019 टी0सी0 दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-3 में शब्दों में अंकित त्रुटिपूर्ण धनराशि रू0 एक करोड अठ्ठारह लाख इकहत्तर हजार मात्र को एतद्द्वारा विलोपित करते हुये उसके स्थान पर संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि रू0-118.17 लाख (रू0 एक करोड अठ्ठारह लाख सतरह हजार मात्र) अंकित की जाती है।

3. तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक **18 सितम्बर**, **2020** उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-216 /2020/2694/41-2020-123(बजट)/2019टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- आयुक्त गोरखपुर मण्डल /जिलाधिकारी गोरखपुर ।
4- निजी सचिव , प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0, शासन ।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ/ वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8- परियोजना प्रबंधक , सी0एण्ड डी0एस0 ,उ0प्र0 जल निगम, इकाई-14, गोरखपुर।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर।
11- गार्ड-फाइल / वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें ।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in